न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 58/2024

1. उग्रसेन पुत्र बलवन्त राय जाति विश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।
2. बिजेन्द्र कुमार पुत्र बलवन्त राय जाति विश्नोई निवासी रोहिडावाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।
3. भूपेन्द्र पुत्र बलवन्त राय जाति विश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. अमिता पत्नी अमरलाल जाति बिश्नोई निवासी 2 पी बड़ी रोहिड़ावाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीगंगानगर ।
3. पंजाब नैशनल बैंक शाखा फतुही जरिए प्रबन्धक

— —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री बलराम सुथार अधिवक्ता — — प्रार्थी
2. पैरोकार राज — — अप्रार्थी संख्या 2

अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–29.10.2024

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम चक 3 पी के बड़ी पटवार हल्का रोहिड़ावाली के खाता संख्या 27/20 मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 में 1.760 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चक 3 पी बड़ी पटवार हल्का रोहिड़ांवाली के खाता संख्या 57/33 नया पुराना के मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 6, 7/1, 14 ता 17, 24, 25 कुल 2.0225 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 में जाने के लिए इसी मुरब्बा के किला नं0 24, 25 में मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 4, 5 में चल रहे खाला के चिपते मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 24, 25 में 2–2 बिस्वा यानि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

16–1/2 फुट रास्ता मौके पर चल रहा है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 25 के कोने में सरकारी खाल पर पुलिया स्वीकृत है और इसी रास्ता से प्रार्थीगण अपने खेत में आते जाते रहते है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मुरब्बा नं0 7 के किला नं० 24, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता चल रहा है जो राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाना चाहते है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 बार–बार उक्त चालू रास्ता को बन्द करने की फिराक में है। अगर अप्रार्थीया द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण अपने खेत में आ जा नहीं सकेगें। इसलिए उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाना अत्यधिक आवश्यक है। अगर अप्रार्थीया द्वारा रास्ता को बन्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी व अपनी कृषि भूमि पर खेती करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीया एक ही परिवार के सदस्य है। पूर्व में उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज थी और अर्सा पूर्व पारिवारिक समझौता कर किलावाईज भूमि का बंटवारा कर लिया और उसी बंटवारेनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीया द्वारा खाता विभाजन करवा लिया जो मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 24 व 25 में जो रास्ता चल रहा है उसकी एवज में प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में ही 4 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थीया व उसके परिवार के सदस्यों को मुआवजा स्वरूप दे दी गई परन्तु अप्रार्थीया द्वारा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं करवाया गया। और वर्तमान में रास्ता चालू है और किला नं0 25 के कोने में खाला पर पुलिया भी बनी हुई है। प्रार्थीगण द्वारा मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 24, 25 में चल रहे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु अप्रार्थीया को कहा तो अप्रार्थीया द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु स्पष्ट इंकार कर दिया गया एवं रास्ता बन्द करने की धमकी दी गयी। इसलिए प्रार्थीगण को श्री मान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। उक्त प्रार्थना पत्र श्री मान जी के न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है व उचित न्यायशुल्क पर अन्दर अवधि प्रस्तुत है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 3 पी बड़ी पटवार हल्का रोहिड़ांवाली तहसील गंगानगर के खाता संख्या 27/20 के मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 की कुल 1.760 हैक्टेयर कृषि भूमि जो कि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए चल रहे रास्ता चक 3 पी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 57/33 के मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 2.0225 हैक्टेयर कृषि भूमि जो कि अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है में से मुरब्बा नं0 7 के किला नं० 24, 25 मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 4, 5 में चल रहे खाले के साथ साथ 2–2 बिस्वा यानि 16–1/2 फुट चौड़ा एवं 165 फीट लम्बा प्रत्येक बीघे में स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाए जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश करना नहीं चाहने पर जवाब प्रार्थना 251ए आर.टी.ए. वंद किया गया।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.)

–:: आदेश ::–

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि यदि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी को ऐतराज नहीं है। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा पक्की सडक से एक बीघा दूरी पर भी रास्ता मांगा जा सकता था। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम नहीं होने के कारण प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक **29.10.2024** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner